न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 338 / 2025

श्री महेश कुमार दूत, रूघावाली ढाणी के पास, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333042, मो0न0 9694142646

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 08.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 338 / 2025 पर दिनांक 21.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 3890–91 दिनांक 21.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37(7)(8)विविध / चुनाव / 2011 / 803 दिनांक 03.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री महेश कुमार दूत द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन आवेदन किया गया था जो इस कार्यालय मे लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के पत्रांक 297 दिनांक 19..08.2025 के द्वारा अन्तरित होकर दिनांक 20.08.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृठांकित की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.08.2025 को आवेदन किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् 30 दिवस मे सूचना प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही माननीय न्यायालय मे दिनांक 20.08.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो कि नियमानुसार सही नही है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवायी जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 37(7)(8)विविध / चुनाव / 2011 / 803 दिनांक 03.09.2025 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री महेश कुमार दूत द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.08.2025 को ऑनलाईन आवेदन किया गया था जो उनके कार्यालय मे लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के पत्रांक 297 दिनांक 19..08.2025 के द्वारा अन्तरित होकर दिनांक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

20.08.2025 को उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृठांकित की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.08.2025 को आवेदन किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् 30 दिवस मे सूचना प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही माननीय न्यायालय मे दिनांक 20.08.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो कि नियमानुसार सही नही है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवायी जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। चूंकि प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 07.08.2025 के 30 दिन पूर्व ही अपील पेश कर दी गई है जो नियमानुसार सही नही है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवायी जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं